

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान

देवा पुत्र पेमा जाति जाट  
सा. लोरपुरा तह. नावां

बनाम

रेखा पुत्र माना जाति जाट वगै.  
सा. लोरपुरा तह. नावां

किस्म मुकदमा : 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 111 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ
05.03.2024	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल शर्मा ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत डाक सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 08.04.2024 को पेश हो।</p> <p>8/4/24 पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इत्तवा होकर दिनांक 22/5/24 को पेश हो।</p> <p>24/5/24 पत्रावली वाली काट्टा प्राणपत्र पत्रावली आज ही तलब कर जस्टिस विद्मोल खातिर कनि पेश किले पर आज पेश हुई प्राणपत्र पुस्तक का निवेदन किया कि इस वाद पत्र में प्राणपत्र के अक्षर राजीनामा है मुका है इसलिज जस्टिस विद्मोल खातिर कनि जावां</p> <p>अतः वाली के निवेदन पर वाली का वाद पत्र जस्टिस विद्मोल खातिर किया जाता है। पत्रावली फिलहाल भुमात होकर नम्बर कि कम ही व काबिल रहस हो</p>	<p>(विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>

